अंचल अधिकारी गोविन्दपुर का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 04/2017-18

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– सुन्दरपहाड़ी/थाना– 143 खाता संख्या– 75 प्लॉट संख्या– 962 रकबा– 66 डी0 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– 01 के पृष्ठ संख्या– 179, पर जमाबंदी रैयत अगास्त माँझी पिता मनसा माँझी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 19.7.16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

11/07/16

अंचल अधिकारी

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
19.7.16	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा एंव संबंधित भूमि का दस्तावेज समर्पित किया। अभिलेख दिनांक 29.7.16 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	
26.12.17	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार का संकल्प सं0–6144/रा0 रॉची दिनांक–21.12.2017 के आलोक में 4(h)की कार्रवाई समाप्त करते हुए उस जमाबंदी/नियमितिकरण (Regulation of Jamabandi) वाद के रूप में रूपान्तरित किया जाता है। प्रश्नगत भू–खण्ड की स्थानीय स्थल जॉच हेतू अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी एंव अमीन को संयुक्त रूप से दे। उन्हे निदेश दिया जाता हैं कि जॉच कर जॉच प्रतिवेदन तीन प्रति में नक्शा चौहदी सहित तीन दिनों के अन्दर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। अभिलेख दिनांक 05.01.18 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	
.1.18	अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी एंव अमीन का स्थलीय जॉच प्रतिवेदन वो नक्शा चौहदी सहित तीन प्रति में अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। राजस्व कर्मचारी ने जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया हैं कि उक्त भू–खण्ड गैर आबाद खाता की हैं, जमाबंदी संख्या– 179 में जमाबंदी रैयत झलका मांझी पिता मनसा मांझी खाता 75 प्लॉट सं0 962 रकवा 66डी0 दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में [illegible] Case No. 140/1964-65 अंकित है। लगान रसीद वर्ष विवरण दर्ज नहीं है। से निर्गत होने का विवरण दर्ज है। वर्तमान में भू–खण्ड पर जमाबंदी रैयत के वंशज को कृषि/आवासीय के रूप में दखल कब्जा है। उक्त जमाबंदी को वर्तमान वंशज के नाम से नियमितिकरण की जा सकती है। अभिलेख दिनांक 13.01.18 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन, नक्शा चौहदी सहित, जमाबंदी रैयत के वंशजो द्वारा समर्पित राजस्व कागजात/शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र एंव संधारित पंजी II के पृष्ठ संख्या 179 जमाबंदी रैयत झलंगा माँझी पिता मनसा मांझी के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जबर दखल केस नं॰ 140/1964-65 खाता 75 प्लॉट 962 रकवा 66 डी॰ अंकित है। लगान रसीद वर्ष — से निर्गत होने का विवरण है। उक्त संकल्प के आलोक में जो वर्ष 1985 से पुर्व का सिद्ध करता है। साथ ही जमाबंदी रैयत का शपथ पत्र में उल्लेखित नामित उत्तराधिकार के रूप में

1. श्री चुड़का मॉझी पिता झलंगा मांझी

2. पार्वती मेंझान पति लुखुल माँझी

का प्रश्नगत सरकारी भू–खण्ड पर कृषि/आवासीय के रूप में दखलकार है। उक्त नामित उत्तराधिकारी जमाबंदी रैयत के वंशज सरकारी नौकरी/आयकर दाता के श्रेणी में नहीं है। इनके पास कुल धारित रकवा–2.00 एकड़ से कम/अधिक है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में झारखण्ड सरकार रॉची द्वारा निर्गत संकल्प में निहित शर्तो को पुरा करता है। इस आधार पर उक्त जमाबंदी को वर्तमान उत्तराधिकारियों 1. श्री चुड़का मांझी पिता झलंगा मांझी 2. पार्वती मेंझान पति लुखुल माँझी के नाम से नियमितिकरण करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप–समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

(हस्ताक्षर) 13/01/18

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर